# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस**

प्रकरण सं0 : 102/2019

अनवान :

1. राजपाल पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

**बनाम**

1. पृथ्वीसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. विकास पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. शकुन्तला पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. आरएमजीबी शाखा अनुपशहर जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**
**उपस्थिति : वकील श्री वीरेन्द्र जाखड़ : वादी**
**वकील श्री ताराचन्द मोठसरा : प्रतिवादी सं0 1 ता 3**
**निर्णय** **दिनांक : 27-2-2020**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अनुपशहर तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 482/288 के खसरा सं0 305 की 3.541 है0 खसरा सं0 737/1 की 5.944 है0 खसरा सं0 744/1 की 11.002 है0 खसरा सं0 1027/744 की 3.035 है0 कुल किता 4 की 23.522 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी पृथ्वीसिंह के नाम से 619–2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण के दादा के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी पृथ्वीसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था। प्रतिवादी शकुन्तला के पास अलग से कोई स्त्रीधन नहीं है ना ही भरण पोषण का उसके पास अलग से कोई किसी प्रकार का साधन है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होने के चलते वादभूमि जो प्रतिवादी पृथ्वीसिंह के नाम से दर्ज है, वह पारिवारिक सैटलमेन्ट में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि तन्हा प्रतिवादी पृथ्वीसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 4 को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज्य ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 482/288 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम अनूपशहर सम्वत् 2051 से 54 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये एवं वारिस प्रमाण पत्र पृथ्वीसिंह का पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण के दादा के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि का विरासतन प्रतिवादी पृथ्वीसिंह के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था। पारिवारिक सैटलमेन्ट में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम अनूपशहर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम अनूपशहर सम्वत् 2051 से 54 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई जिसमें वाद भूमि वादी के दादा श्योकरण वल्द नाथा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र में पृथ्वीसिंह के वारिसान में पत्नी शकुन्तला दो पुत्र राजपाल व विकास होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनुपशहर तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 482/288 के खसरा सं0 305 की 3.541 है0 खसरा सं0 737/1 की 5.944 है0 खसरा सं0 744/1 की 11.002 है0 खसरा सं0 1027/744 की 3.035 है0 कुल किता 4 की 23.522 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी पृथ्वीसिंह के नाम से 619–2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 पृथ्वीसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 2 व 3 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-2-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोट :- निर्णय के शीर्षक पेज में प्रतिवादी सं 2 व 3 के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

R.A.S.

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस**

प्रकरण सं0 : 102/2019

उनवान :

1. राजपाल पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

**बनाम**

1. पृथ्वीसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. विकास पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. शकुन्तला पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. आरएमजीबी शाखा अनुपशहर जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री वीरेन्द्र जाखड़ एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री ताराचन्द मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनुपशहर तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 482/288 के खसरा सं0 305 की 3.541 है0 खसरा सं0 737/1 की 5.944 है0 खसरा सं0 744/1 की 11.002 है0 खसरा सं0 1027/744 की 3.035 है0 कुल किता 4 की 23.522 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी पृथ्वीसिंह के नाम से 619–2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 पृथ्वीसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं (2) व 3 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 (2) व 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-2-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
मुकेश बारैठ R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

नोट:- डिक्री के प्रथम पेरा की चौथी लाईन में प्रतिवादी सं. 2 व 3 के स्थान पर "1 ता 3" पढ़ा जावे। इसी अनुसार ग्यारहवी लाईन पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा